

योजना का नाम	आवासीय विद्यालय योजना
योजना के तहत देय लाभ	<ul style="list-style-type: none"> – भोजन, नाश्ता एवं विशेष भोजन की निःशुल्क व्यवस्था – निःशुल्क आवास व्यवस्था – आवासीय परिसर में ही शिक्षण सुविधा – बिजली, पानी की उचित व्यवस्था – तेल, साबुल, बाल कटाई आदि की सुविधा – गददे, कम्बल, चादर, तौलिया, खोली आदि की व्यवस्था एवं धुलाई – स्कूल यूनीफार्म आदि – समाचार पत्र-पत्रिका, टी.वी. एवं खेलकूद की व्यवस्था
पात्रता की शर्तें	<p>– गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालयों में 80 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु, 7 प्रतिशत स्थान अन्य पिछडा वर्ग तथा 1 प्रतिशत विशेष पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित है तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालयों में 80 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत जाति वर्ग हेतु, 7 प्रतिशत स्थान अन्य पिछडा वर्ग तथा 1 प्रतिशत विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> – कुल प्रवेशों में से 50 प्रतिशत प्रवेश स्थानीय जिले के छात्र/छात्राओं को तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य के अन्य जिलों के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, विधवाओं के बालक-बालिका व अनाथ को प्राथमिकता।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कहां सम्पर्क करें	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से

आवेदन पत्र का प्रारूप